न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 43 / 2022

अपीलांट–

1. टीकमाराम पुत्र अचलाराम
जाति जाट निवासी चम्पाबेरी
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 रूपाराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम
1.1 बुधराम पुत्र रूपाराम
1.2 मेहाराम पुत्र रूपाराम
1.3 खमाराम पुत्र रूपाराम
1.4 मेघाराम पुत्र रूपाराम के कायम मुकाम
1-4.1 ओमाराम पुत्र मेघाराम
1-4.2 इसराराम पुत्र मेघाराम
1-4.3 राऊदेवी पत्नी मेघाराम
2 राऊराम पुत्र श्री अचलाराम के कायम मुकाम
2.1 पदमाराम पुत्र राऊराम
2.2 खेमाराम पुत्र राऊराम
2.3 अर्जुनराम पुत्र राऊराम
2.4 बांकाराम पुत्र राऊराम
2.5 वालीदेवी पत्नी राऊराम
3 मुकनाराम पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम
3.1 भूराराम पुत्र मुकनाराम
3.2 मंगलाराम पुत्र मुकनाराम
3.3 हुकमाराम पुत्र मुकनाराम
3.4 मोहनलाल पुत्र मुकनाराम
3.5 भगराज पुत्र मुकनाराम
3.6 तुलसीदेवी पत्नी मुकनाराम
3.7 धन्नीदेवी पत्नी दौलाराम
4 काली पत्नी नैनाराम
5 भोमाराम पुत्र नैनाराम
6 गोसाईराम पुत्र नैनाराम
7 तहसीलदार सेड़वा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2015/19 दिनांक 06.07.2015 जो तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवनगिरी सोडियार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेताराम सैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक भू.अ./2015/19 दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 1 से 6 के पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 78 रकबा 0.09 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 79 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 118 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 119 रकबा 86 बीघा 04 बिस्वा मौजा चम्पाबेरी तहसील सेड़वा जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम चम्पाबेरी तहसील सेड़वा जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 78, 79, 117, 118, 119 रकबा 121 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 6 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.2015 को रा.लो.अ. केम्प बामडला में तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक भू.अ./2015/19 दिनांक 06.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक भू.अ./2015/19 दिनांक 06.07.2015 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 1 से 6 ने इस विभाजन आदेश में लट्ठा ट्रेस में कियान्वयन अपीलांट की सहमति के बिना एक तरफ करवाया जिसके अनुसार खसरा नंबर 118 में अपने भौतिक कब्जे से अधिक भूमि को अपने हिस्से की होना बताते हुए अपीलांट की ढाणियों व टांकों को उतरदाता संख्या 1 से 6 ने अपने कब्जे वाले भू भाग में होना बताया जबकि ये ढाणियां व टांका इसी स्थान पर तब से कायम है जब से समस्त खातेदारों के संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। इस पर पटवारी के माध्यम से सीमाज्ञान कराया गया तो मौके पर पटवारी के बताने पर सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी हुई कि अपीलकर्ता जिस भूमि पर काबिज है एवं कब्जा काश्त है तथा उसकी रहवासी ढाणियां, चारबाडे एवं टांके वगैरह है वह उतरदाता के कब्जे में दर्शा दिए हैं तथा उतरदाता की ढाणियों को अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त में दर्शाया गया है। इस स्थित में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 1 से 6 के पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 78 रकबा 0.09 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 79 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 118 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 119 रकबा 86 बीघा 04 बिस्वा मौजा चम्पाबेरी तहसील सेड़वा जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम चम्पाबेरी तहसील सेड़वा जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 78, 79, 117, 118, 119 रकबा 121 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 6 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.2015 को रा. लो.अ. केम्प बामडला में तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक भू.अ./2015/19 दिनांक 06.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उतरदातागण 1 से 6 के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे आदि उतरदातागण के कब्जे में चले गए हैं। इस प्रकार तहसीलदार सेड़वा द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक भू.अ./2015/19 दिनांक 06.07.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर